

2024/46

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट

श्री गोविन्दसिंह
निवासी रीछडी आदर्श डूंगरी
तहसील पिण्डवाडा
जिला सिरौही।

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा

किस्म मुकदमा— अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 13 वर्ष 2024

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
20.03.2024	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा को दिनांक 29.01.2024 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम रीछडी ग्राम पंचायत आदर्श डूंगरी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही का वीर बावसी के पास से जाने वाला कच्चा रास्ता जो रीछडी गांव के स्कूल तक है, उक्त रास्ता किसी की खातेदारी भूमि में है या राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में यह सडक तरमीम है और इस पर डामर सडक बनने में पी.डब्ल्यू.डी. विभाग या अन्य किसी को कोई आपत्ति है या नहीं, से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10/- जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा को दिनांक 29.01.2024 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम रीछडी ग्राम पंचायत आदर्श डूंगरी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरौही का वीर बावसी के पास से जाने वाला कच्चा रास्ता जो रीछडी गांव के स्कूल तक है, उक्त रास्ता किसी की खातेदारी भूमि में है या राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में यह सडक तरमीम है और इस पर डामर सडक बनने में पी.डब्ल्यू.डी. विभाग या अन्य किसी को कोई आपत्ति है या नहीं, से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावे। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। निर्णय सर-ए-इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(शुभम चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरौही

